राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
जिला झुन्झुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी – मुकेश चौधरी, आर.ए.एस.

मुकदमा नंम्बर– 250 / 2024
GCMS No. 2024 / 489

महेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामजीलाल जाति अहीर उम्र 45 साल निवासी दलौता तहसील खेतड़ी, जिला नीमकाथाना (राज0)

........वादी

ब–ना–म

1. कवर सिह पुत्र श्री रामजीलाल जाति अहीर निवासी दलौता तहसील खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज0)
2. बृजलाल पुत्र श्री रामजीलाल जाति अहीर निवासी दलौता तहसील खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज0)
3. भूपसिंह पुत्र श्री रामजीलाल जाति अहीर निवासी दलौता तहसील खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज0)
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं (राज0)

........प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक व रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व

धारा 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956

वकील वादी – श्री हवासिंह निर्वाण

:: निर्णय :: **दिनांक :– 11–03–2025**

वादी की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वाके ग्राम दलौता तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं (राज0) स्थित जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 के खाता संख्या 70 खसरा नंबर 221 रकबा 0.1200 है., खसरा नंबर 224 रकबा 0.0700 है0, खसरा नंबर 225 रकबा 0.1200 है0, खसरा नंबर 226 रकबा 0.1200 है0, खसरा नंबर 227 रकबा 0.1400 है0, खसरा नंबर 249 रकबा 0.1100 है0, [illegible] 250 [illegible] है0, खसरा नंबर 251 रकबा 0.0900 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 0.8400 [illegible] एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का 4 / 16 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है [illegible] 69 के हाल खसरा नंबर 176 रकबा 0.1500 है0, खसरा [illegible] है0, खसरा नंबर 246 रकबा 0.1200 है0, खसरा नंबर 247 रकबा 0.0200 है0, खसरा नंबर 340

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2025.03.12 16:46:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

(2) .... हस्ताक्षर (2)..

रकबा 0.4100 है0, खसरा नंबर 388 रकबा 0.2700 है0, खसरा नंबर 463 रकबा 0.3200 है0 भूमि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है तथा हाल भूमि खाता संख्या 71 के हाल भूमि खसरा नंबर 117 रकबा 0.3200 है0, खसरा नंबर 520/247 रकबा 0.0900 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.4100 है0 भूमि के वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। वादी को घर पर ''महेन्द्र पुत्र रामजीलाल'' व ''महेन्द्र सिंह पुत्र रामजीलाल'' के नाम से यानि दोनों ही नामों से जाना व पहचाना जाता है। इसलिये वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में महेन्द्र पुत्र रामजीलाल दर्ज कर दिया गया जबकि वादी का सही नाम ''महेन्द्र सिंह पुत्र रामजीलाल'' जो उसके अन्य सभी लोक दस्तावेज/कागजात जैसे राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पास बुक, जन आधार कार्ड, पहचान पत्र, विद्युत बिल आदि में दर्ज है। इस प्रकार वादी का नाम उक्त राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज है जो दुरूस्त किये जाने योग्य है। उक्त वादग्रस्त भूमि में वादी का नाम गलत रूप से दर्ज होने से वह अपनी भूमि में सुधार हेतु ऋण लेने, संपरिवर्तन करवाने, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने एवं अन्य कानूनी कार्यवाही करने में वादी काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। इसलिए वादी को अपना नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करवाने के लिए यह वाद पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम दलौता तहसील खेतडी जिला झुन्झुनूं (राज0) स्थित जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 के खाता संख्या 70 खसरा नंबर 221 रकबा 0.1200 है., खसरा नंबर 224 रकबा 0.0700 है0, खसरा नंबर 225 रकबा 0.1200 है0, खसरा नंबर 226 रकबा 0.1200 है0, खसरा नंबर 227 रकबा 0.1400 है0, खसरा नंबर 249 रकबा 0.1100 है0, खसरा नंबर 250 रकबा 0.0700 है0, खसरा नंबर 251 रकबा 0.0900 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 0.8400 है0 भूमि में एवं हाल खाता संख्या 69 के हाल खसरा नंबर 176 रकबा 0.1500 है0, खसरा नंबर 218 रकबा 0.3200 है0, खसरा नंबर 246 रकबा 0.1200 है0, खसरा नंबर 247 रकबा 0.0200 है0, खसरा नंबर 340 रकबा 0.4100 है0, खसरा नंबर 388 रकबा 0.2700 है0, खसरा नंबर 463 रकबा 0.3200 है0 भूमि में तथा हाल भूमि खाता संख्या 71 के हाल भूमि खसरा नंबर 117 रकबा 0.3200 है0, खसरा नंबर 520/247 रकबा 0.0900 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.4100 है0 भूमि में वादी का नाम ''महेन्द्र पुत्र रामजीलाल'' के स्थान पर ''महेन्द्र सिंह पुत्र रामजीलाल'' की घोषणा किये जाने व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कर अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2025.03.12 16:46:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 की ओर से इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत कर वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

प्रतिवादी सं. 4 राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार, खेतड़ी ने जरिये पत्र क्रमांकः राजस्व/2024/1238 दिनांक 15.10.2024 से बिदुवार जांच रिपोर्ट मय पटवारी फर्द जांच रिपोर्ट भिजवाई है जो बाद शामिल पत्रावली की गई।

वादी की ओर से अपने वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबन्दी संवत् 2073–76 खाता सं. 70, खाता सं. 69 व खाता सं. 71 ग्राम दलौता, फोटो प्रति जन आधार कार्ड, फोटो प्रति आयकर विभाग का पैन कार्ड, फोटो प्रति भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण आधार कार्ड पेश किये गये।

बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं तहसीलदार, खेतड़ी की जांच रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार, खेतड़ी के पत्र क्रमांकः 1238 दिनांक 15.10.2024 के साथ संलग्न पटवारी हल्का ठाठवाड़ी की फर्द जांच रिपोर्ट के द्वारा वादी का नाम महेन्द्र पुत्र रामजीलाल के स्थान पर महेन्द्रसिंह पुत्र रामजीलाल किये जाने की स्पष्ट अभिशंषा की गई है। राजस्व ग्राम दलौता की जमाबंदी संवत् 2073–76 के खाता संख्या 70, 69 व 71 में वादी का नाम दुरूस्त किया जाना उचित है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के मुताबिक वाद वादी स्वीकार कर डिक्री योग्य पाया जाता है।

<u>आदेश</u>

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम **दलौता** तहसील खेतड़ी स्थित भूमि हाल खाता संख्या नया 69, 70 व 71 में वादी का वर्तमान में दर्ज नाम **"महेन्द्र पुत्र रामजीलाल'** के स्थान पर **"महेन्द्रसिंह पुत्र रामजीलाल"** दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का आदेश दिया जाता है। उपरोक्त खातों में शेष प्रविष्टियां यथावत् रहेंगी। उक्तानुसार अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11–03–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2025.03.12 16:46:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी – मुकेश चौधरी, आर.ए.एस.

उनवान

महेन्द्र सिंह

ब–ना–म

कवर सिंह आदि

दावा बाबत घोषणात्मक व रिकार्ड दुरूस्ती

मुकदमा नम्बर :– 250/2024 **GCMS No.** 2024/489

निर्णय दिनांक :– 11–03–2025

वादी की ओर से **श्री हवासिंह निर्वाण एडवोकेट** की व प्रतिवादीगण की ओर से ..... की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 11–03–2025 को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –

"अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम दलौता तहसील खेतड़ी स्थित भूमि हाल खाता संख्या नया 69, 70 व 71 में वादी का वर्तमान में दर्ज नाम 'महेन्द्र पुत्र रामजीलाल' के स्थान पर "महेन्द्रसिंह पुत्र रामजीलाल" दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का आदेश दिया जाता है। उपरोक्त खातों में शेष प्रविष्टियां यथावत् रहेंगी।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 11–03–2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2025.03.12 16:46:17 IST
Reason: SelfAttested

(मुकेश चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं